



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274372
CG-DL-E-11072026-274372

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 557]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 615(अ).—केंद्रीय सरकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध समूह 'ख' (योधक तकनीकी स्टाफ) पद भर्ती नियम, 2012 एवं सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 को, जहाँ तक उनका संबंध निरीक्षक (मास्टर), निरीक्षक (कार्यशाला), निरीक्षक (इंजन चालक), उप-निरीक्षक (मास्टर), उप-निरीक्षक (कार्यशाला), उप-निरीक्षक (इंजन चालक), हेड कांस्टेबल (मास्टर), हेड कांस्टेबल (कार्यशाला), हेड कांस्टेबल (इंजन चालक) तथा कांस्टेबल (कू) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में सीमा सुरक्षा बल के जल स्कंध में समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध (योधक तकनीकी स्टाफ) समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पद संवर्ग, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके संबद्ध वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम .— पोषक रैंक के व्यक्तियों को, उनकी वरिष्ठता के क्रम में, उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व, अर्हक पाठ्यक्रम पूरा करना अपेक्षित होगा तथा बल के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, किसी भी प्रोन्नति से पूर्व, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

परंतु यह कि यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य कारणों से ऐसा कोई सदस्य प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में असमर्थ है, तो वे बल के ऐसे सदस्य को इस शर्त के अधीन प्रोन्नत कर सकते हैं कि वह अपनी प्रोन्नति की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करेगा, ऐसा न होने पर उसे पदावनत कर दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक (मास्टर), सहायक उप-निरीक्षक (कार्यशाला) तथा सहायक उप-निरीक्षक (इंजन चालक) को क्रमशः उप-निरीक्षक (मास्टर), उप-निरीक्षक (कार्यशाला) तथा उप-निरीक्षक (इंजन चालक) के पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं, यदि सहायक उप-निरीक्षक (मास्टर), सहायक उप-निरीक्षक (कार्यशाला) तथा सहायक उप-निरीक्षक (इंजन चालक) अपेक्षित अर्हक सेवा पूरा करते हों :

परंतु यह भी कि ऐसी शिथिलता, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगी।

6. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **प्रोन्नति के लिए चिकित्सा मानक.-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अनुसार चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हैं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा मानक.-** (1) केवल वे व्यक्ति, जो –

- (क) गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित योजना के अनुसार चिकित्सीय और शारीरिक रूप से उपयुक्त हैं;
- (ख) शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक माप निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे :-

क्र.सं.		ऊँचाई	सीना
		(पुरुष)	(पुरुष)
1.	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों, निचे उल्लिखित के सिवाय, के लिए न्यूनतम ऊँचाई और सीना।	165 से.मी.	75-80 से.मी.
2.	सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या जिलों के अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों, निम्नलिखित पैरा में दिये गये के सिवाय, के लिए न्यूनतम ऊँचाई और सीना।	160 से.मी.	75-80 से.मी.

3.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई और सीना ।	155 से.मी.	75-80 से.मी.
4.	वामपंथी उग्रवाद/नक्सलवाद प्रभावित ज़िलों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई और सीना।	158 से.मी.	75-80 से.मी.
5.	गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा और मराठा श्रेणियों के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू – कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई और सीना।	162.5 से.मी.	75-80 से.मी.
6.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई और सीना।	160 से.मी.	75-80 से.मी.
7.	गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के अंतर्गत दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुरसियांग से संबंधित तथा निम्नलिखित "मौज़ों" सहित इन उप-मंडलों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई और सीना:- (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) तंगमोहन (4) बड़ा चेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहाडू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापटी वन-1 (11) महानदी वन (12) चम्पासारी वन	155 से.मी.	75-80 से.मी.

(13) सालबाड़ी छट भाग-2		
(14) सीतोंग वन		
(15) सिवोक हिल वन		
(16) सिवोक वन		
(17) छोटा चेंगा		
(18) निपानिया		

टिप्पण : वजन:आयु एवं ऊँचाई के अनुपात में चिकित्सा मानक के अनुसार ।

9. **सेवा की अन्य शर्तें.**— संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति, सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में, जो इन नियमों में विशेष रूप से उपबंधित नहीं हैं, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 तथा सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के अधीन होंगे :

परंतु यह कि अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों को उस योद्धक पद हेतु विनिर्दिष्ट वर्दी धारण करनी होगी, जिसके विरुद्ध उनकी नियुक्ति की गई है तथा उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के तुरंत पश्चात महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

10. **अधिवार्षिता.**— (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न में, जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को साठ वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

11. **अन्यदेशीय अपात्रता .**— कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि इन नियमों में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिक इन नियमों के अधीन नियुक्ति, पंजीयन या नियोजन से विवर्जित नहीं होंगे।

12. **शिथिल करने की शक्तियाँ.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है इन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निरीक्षक (मास्टर)।	36* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-7 (रुपये 44900-142400)।
चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	
(5)	(6)	(7)	
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा (ii) भूतपूर्व सैनिकों हेतु : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।	
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।			
(11)			
<p>प्रोन्नति : सीमा सुरक्षा बल के उप-निरीक्षक (मास्टर), जो वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (रुपये 35400-112400) में हों तथा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हों, अर्थात्:-</p> <p>(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो;</p> <p>(ख) महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में अर्हित हो;</p>			

(ग) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (2021 का 24) के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रथम श्रेणी मास्टर दक्षता प्रमाण पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र धारित हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी, -

- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सट्टश पद धारण करते हों; या
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 (रुपये 35400-112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; तथा
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों, अर्थात् :-
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण;
(ii) अंतर्देशीय जल परिवहन या वाणिज्यिक नौवहन विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा या अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी प्रथम श्रेणी मास्टर दक्षता प्रमाण-पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण-पत्र धारित करते हों;
(iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :-

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो जलयान के डेक विभाग में सट्टश: पद धारण करते हुए एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास सिविल रजिस्ट्रीकरण के अधीन सीमा सुरक्षा बल की प्रकार के जलयान चलाने की सक्षमता हो या अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रथम श्रेणी मास्टर दक्षता प्रमाण पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक

द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र धारित हो। यदि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त समझा जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
---	--

(12)	(13)
------	------

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य; 3. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।
---	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)
2. निरीक्षक (कार्यशाला)।	10* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रुपये 44900-142400)।

(5)	(6)	(7)
चयन ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा ।

(11)

प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के ऐसे उप-निरीक्षक (कार्यशाला), जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रुपये 35400-112400) में हों तथा जिन्होंने उस क्षेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हों, अर्थात् :-

(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष सदृश पद धारण किए हुए हों; या
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रुपये 35400-112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; तथा

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हों, अर्थात्:-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान या विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग में डिग्री या तीन वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता, साथ ही केन्द्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन नौ-कार्यशाला में पाँच वर्ष का अनुभव ; और

- (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप-1 होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :-

प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो जलयान के अभियांत्रिकी विभाग में सट्टशः पद धारण करते हुए एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो नौ- कार्यशाला के ट्रेड में पांच वर्ष अनुभव रखते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त समझा जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		लागू नहीं होता।	
1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;		
2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	-सदस्य;		
3. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य।		
(1)	(2)	(3)	(4)
3. निरीक्षक (इंजन चालक)।	32* (2026)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रुपये 44900-142400)।

	(*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।		
(5)	(6)	(7)	
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।	

(11)

प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के ऐसे उप-निरीक्षक (इंजन चालक), जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में हों तथा जिन्होंने उस क्षेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हों, अर्थात्: -

(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;

(ग) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस इंजन ड्राइवर या मोटर इंजीनियर या समकक्ष प्रमाण पत्र धारित हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रुपये 35400-112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; तथा
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हों, अर्थात्:-
- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण;
- (ii) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस इंजन ड्राईवर या मोटर इंजीनियर प्रमाण पत्र या दक्षता का समकक्ष प्रमाण पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र धारित करते हो, और
- (iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो सेवानिवृत्त होने वाले हों या एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हों तथा जो पोत के इंजीनियर कक्ष विभाग में समकक्ष पद धारण करते हों और जिनके पास नागरिक पंजीकरण के अधीन सीमा सुरक्षा बल के प्रकार के जलयान संचालन की दक्षता हो, और जो अंतर्देशीय जल परिवहन अथवा समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस इंजन चालक या मोटर इंजीनियर या अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन समकक्ष प्रमाण-पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण-पत्र धारित करते हों। ऐसे व्यक्तियों को, उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें इस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अधीन रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकेगा।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य; 3. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. उप निरीक्षक (मास्टर).	75* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (रुपये 35400-112400)।

(5)	(6)
चयन	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)		
<p>शैक्षिक अर्हताएँ:</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण; और</p> <p>(ख) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण या समकक्ष द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी का मास्टर दक्षता प्रमाणपत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण-पत्र धारित करते हों।</p>		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	<p>(i) अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और</p> <p>(ii) बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (जिसमें भूतपूर्व सैनिकों में से दस प्रतिशत शामिल हैं)</p> <p>(iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए – प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।</p>
(11)		
<p>प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप-निरीक्षक (मास्टर), जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रुपये 29200-92300) में हों तथा जिन्होंने उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएँ रखते हों, अर्थात:-</p> <p>(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो;</p> <p>(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;</p> <p>(ग) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण या समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी का मास्टर प्रमाणपत्र धारित करते हों।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -</p>		

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; तथा

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ तथा अनुभव हो; और

(ग) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :-

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो सेवानिवृत्त होने वाले हों या एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हों तथा जिनके पास इस स्तंभ के अधीन प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हताएँ हो। ऐसे व्यक्तियों को, उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अधीन रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकेगा।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;
2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;
3. कमांडेंट (जल स्कंध) या	- सदस्य।

द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल समूह 'ख' विभागीय समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिरीक्षक, - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. कमांडेंट (जल स्कंध) या - सदस्य। द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल			
(1)	(2)	(3)	(4)
5. उप निरीक्षक (कार्यशाला)।	20* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (रुपये 35400-112400)।
(5)	(6)		
चयन।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।		
(7)			
शैक्षणिक अर्हताएँ:- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग या मेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल या मरीन इंजीनियरिंग या मेक्ट्रॉनिक्स में तीन वर्षीय डिप्लोमा।			

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो साल।	(i) अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिससे न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा (ii) बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों में से दस प्रतिशत सहित) (iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)

प्रोन्नति:- सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सहायक उप निरीक्षक (कार्यशाला) जो वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रुपये 29200-92300) में हो तथा जिन्होंने उस क्षणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएँ रखते हों, अर्थात्:

(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; तथा

(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; तथा

(ख) जिन के पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव हों; तथा

(ग) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हों और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित अर्हताएँ हो। ऐसे व्यक्तियों को यदि

उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अधीन रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकेगा।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक, - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. कमांडेंट (जल स्कंध) या - सदस्य। द्वितीय-कमान-अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल <p>ग्रुप 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक, - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. कमांडेंट (जल स्कंध) या - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

द्वितीय-कमान-अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल			
(1)	(2)	(3)	(4)
6.उप निरीक्षक (इंजन चालक)।	76* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -6 (रुपये 35400-112400)।
(5)	(6)		
चयन	<p>आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>		
(7)			
शैक्षणिक अर्हताएँ:-			
<p>(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण हो; और</p> <p>(ख) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रथम श्रेणी इंजन चालक दक्षता प्रमाण-पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण-पत्र।</p>			
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	दो साल।	<p>(i) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और</p> <p>(ii) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (जिसमें भूतपूर्व सैनिकों में से दस प्रतिशत शामिल हैं)</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।</p>	

(11)

प्रोन्नति:- सीमा सुरक्षा बल के सहायक-उप-निरीक्षक (इंजन चालक) जो वेतन मेट्रिक्स स्तर -5 (रुपये 29200-92300) में है और जिन्होंने संवर्ग में छह साल की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएँ रखते हों, अर्थात:

(क) प्रवेश स्तर के पद के लिए विहित बुनियादी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;

(ग) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण या समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा जारी प्रथम श्रेणी का इंजन चालक प्रमाणपत्र धारण करते हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स स्तर-5 (रुपये 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर छह वर्ष की सेवा प्रदान की हो; तथा

(ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों; तथा

(ग) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:

प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास इस स्तंभ के अधीन प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि उपयुक्त समझा जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक, - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. कमांडेंट (जल स्कंध) या - सदस्य। द्वितीय-कमान-अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक, - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. कमांडेंट (जल स्कंध) या - सदस्य। द्वितीय-कमान-अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल 	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
7.सहायक उप-निरीक्षक (मास्टर)।	128* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (रुपये 29200-92300)।
(5)	(6)	(7)	
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।	
(11)			
<p>प्रोन्नति:- सीमा सुरक्षा बल के ऐसे मुख्य आरक्षक (मास्टर) में से, जो वेतन मेट्रिक्स स्तर-4 (रुपये 25500-81100) में है और, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :-</p> <p>(क) प्रवेश स्तर के पद के लिए विहित बुनियादी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो;</p> <p>(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;</p> <p>(ग) "सेरंग सर्टिफिकेट" धारित करते हों।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p>			

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रुपये 25500-81100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; तथा
(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;

(ii) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी 'सेरंग' दक्षता प्रमाण पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र धारित हो; और

(iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:

प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास इस स्तंभ के अधीन प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि उपयुक्त समझा जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल</p>	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>- अध्यक्ष;</p>

2. कमांडेंट (जल स्कंध) या सेकंड-इन-कमांड (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य;	
3. उप कमांडेंट या, सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य।	
(1)	(2)	(3)	(4)
8. सहायक उप- निरीक्षक (कार्यशाला)।	33* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रुपये 29200- 92300)।
(5)	(6)		(7)
चयन	लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, तथा (ii) भूतपूर्व सैनिकों हेतु: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन द्वारा।	
(11)			
<p>प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के मुख्य आरक्षक (कार्यशाला) में से, जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रुपये 25500-81100) में हो और जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ; तथा</p> <p>(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने</p>			

अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रुपये 25500-81100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; तथा

(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक (डीजल या पेट्रोल इंजन) या मशीनिस्ट या वेल्डर या बढ़ई या इलेक्ट्रिशियन या फिटर या एयर कंडीशनर तकनीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्लम्बर या अपहोल्स्टर या पेंटर के ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र धारक हो और पोत या वाहन मरम्मत कार्यशाला में, अधिमानतः केंद्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधीन पांच वर्ष का अनुभव रखते हो; तथा

(iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :-

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :- सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और पोत के इंजीनियरिंग कक्ष विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों और पोत या वाहन मरम्मत कार्यशाला में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों । ऐसे व्यक्तियों को यदि उपयुक्त समझा जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।	
1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल		- अध्यक्ष;	
2. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य;	
3. उप कमांडेंट या, सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य.	
(1)	(2)	(3)	(4)
9. सहायक उप- निरीक्षक (इंजन चालक)।	82* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रुपये 29200-92300)।
(5)	(6)		(7)
चयन।	लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, तथा (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन द्वारा।	
(11)			
प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के ऐसे मुख्य आरक्षक (इंजन चालक) में से, जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रुपये 25500-81100) में है, और जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :- (क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ;			

(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;

(ग) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अंतर्गत जारी द्वितीय क्षेणी इंजन चालक प्रमाण पत्र धारित करते हों।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सटश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25500-81100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; तथा

(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन; तथा

(ii) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी द्वितीय क्षेणी इंजन चालक दक्षता प्रमाण पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र धारित हो; और

(iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पोत के इंजीनियरिंग रूम विभाग में सटश पद धारण करते हैं और जो सीमा सुरक्षा बल प्रकार के जलयान को सिविल पंजीकरण के अंतर्गत चलाने के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी द्वितीय क्षेणी इंजन चालक दक्षता प्रमाण पत्र धारक हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा

जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।	
1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;		
2. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;		
3. उप कमांडेंट या, सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य।		
(1)	(2)	(3)	(4)
10. मुख्य आरक्षक (मास्टर)।	183* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25500-81100)।
(5)	(6)	(7)	
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, तथा (ii) भूतपूर्व सैनिकों हेतु : प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन द्वारा।
(11)		
<p>प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के ऐसे आरक्षक कू (मास्टर) में से, जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रुपये 21700-69100) में हैं, और जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :-</p> <p>(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ;</p> <p>(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;</p> <p>(ग) सेरंग सर्टिफिकेट धारित करते हों।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी, -</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सटश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रुपये 21700-69100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; तथा</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अर्थात् :-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;</p> <p>(ii) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या समुद्री वाणिज्य विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण</p>		

द्वारा जारी 'सेरंग' दक्षता प्रमाण पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र धारित हो; और

(iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास इस स्तंभ के अधीन प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हता हो। ऐसे व्यक्तियों को यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल - सदस्य; 	<p>लागू नहीं होता।</p>

3. उप कमांडेंट या, सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य।		
(1)	(2)	(3)		
11. मुख्य आरक्षक (कार्यशाला)।	43* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।		
4)	(5)	(6)	(7)	
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रुपये 25500-81100)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, तथा (ii) भूतपूर्व सैनिकों हेतु : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा		
(11)				
<p>प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के आरक्षक (कार्यशाला) में से जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रुपये 21700-69100) में है और, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और</p> <p>(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p>				

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-3 (रुपये 21700-69100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक (डीजल या पेट्रोल इंजन) या मशीनिस्ट या वेल्डर या बढ़ई या इलेक्ट्रिशियन या फिटर या एयर कंडीशनर तकनीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्लम्बर या अपहोल्स्टर या पेंटर के ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र धारक हो तथा पोत या वाहन मरम्मत वर्कशॉप में, अधिमानतः केंद्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधीन पांच वर्ष का अनुभव हो; तथा

(iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-। होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :- सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो पोत के इंजीनियरिंग कक्ष विभाग में सदृश पद धारण करते हैं और जिसके पास पोत या वाहन मरम्मत कार्यशाला में पांच वर्ष का अनुभव है। ऐसे व्यक्ति को यदि उपयुक्त समझा जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

2. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य;		
3. उप कमांडेंट या, सहायक कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य		
(1)	(2)		(3)	
12. मुख्य आरक्षक (इंजन चालक)।	201* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।		साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	
(4)	(5)	(6)	(7)	
वेतन मेट्रिक्स स्तर-4 में (रुपये 25500-81100)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।		
(11)				
<p>प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के आरक्षक कू (इंजन ड्राइवर) में से, जो वेतन मेट्रिक्स स्तर-3 में (रुपये 21700-69100) हों तथा जिन्होंने इस ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की हो और जो निम्नलिखित अर्हताएँ रखते हों, अर्थात:-</p> <p>(क) प्रवेश स्तर के पद हेतु विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो;</p> <p>(ख) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में अर्हित हो;</p> <p>(ग) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन जारी द्वितीय श्रेणी इंजन चालक प्रमाणपत्र धारक हों।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी</p>				

कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में सट्टश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (रुपये 21700-69100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; तथा

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;

(ii) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन या वाणिज्यिक नौवहन विभाग या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी इंजन चालक दक्षता प्रमाण पत्र या भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र धारित करते हों; और

(iii) चिकित्सा श्रेणी शेष-1 होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिक :-

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: - सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो पोत के इंजीनियरिंग कक्ष विभाग में सट्टश पद धारण करते हैं और जो इस स्तंभ में प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं रखते हो। ऐसे व्यक्तियों को यदि उपयुक्त समझा जाना है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		लागू नहीं होता ।	
1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	-	अध्यक्ष;	
2. कमांडेंट (जल स्कंध) या द्वितीय कमान अधिकारी (जल स्कंध), सीमा सुरक्षा बल	-	सदस्य;	
3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल	-	सदस्य।	
(1)	(2)	(3)	(4)
13. आरक्षक कू (मास्टर) ।	279* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रुपये. 21700- 69100) ।
(5)	(6)		
लागू नहीं होता	आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, चालीस वर्ष तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।		
(7)			
शैक्षणिक अर्हताएं:			
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष;			
(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से अर्हित हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन या सूचना प्रौद्योगिकी			

और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या रेडियो और टीवी मैकेनिक या कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो; और

(ग) बिना किसी सहायता के गहरे पानी में पचास मीटर तैरने की अर्हता प्राप्त करेगा।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती से (जिसके अन्तर्गत पूर्व सैनिकों में से दस प्रतिशत भी हैं)।	लागू नहीं होता।
(12)		(13)	
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -		लागू नहीं होता।	
1. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल		- अध्यक्ष;	
2. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य;	
3. उप कमांडेंट (जल स्कंध) या सहायक कमांडेंट (जल स्कंध) सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य।	
(1)	(2)	(3)	(4)
14. आरक्षक (कार्यशाला)।	50* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रुपये 21700-69100)।
(5)		(6)	
लागू नहीं होता।		आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, चालीस वर्ष तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।	

<p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>			
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>शैक्षणिक अर्हताएं:</p> <p>(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष;</p> <p>(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से अर्हित हो या मैकेनिक (डीजल या पेट्रोल) या मैकेनिक मोटर वाहन या इलेक्ट्रीशियन या प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक या प्लंबर या वेल्डर या बढ़ई या मशीनिस्ट या फिटर या इलेक्ट्रॉनिक्स या पेंटर या अपहोल्स्टर में डिप्लोमा हो; तथा</p> <p>(ग) बिना किसी सहायता के गहरे पानी में पचास मीटर तैरने में अर्हता प्राप्त करेगा।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>दो वर्ष।</p>	<p>सीधी भर्ती से (पूर्व सैनिकों में से दस प्रतिशत सहित)।</p>
(11)			
लागू नहीं होता।			
(12)			(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>1. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल</p>			<p>- अध्यक्ष;</p>

2. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;		
3. उप कमांडेंट (जल स्कंध) या सहायक कमांडेंट (जल स्कंध) सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।		
(1)	(2)	(3)	(4)
15. आरक्षक कू (इंजन चालक) ।	277* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रुपये 21700-69100) ।

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	<p>आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं ।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, चालीस वर्ष तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)

शैक्षणिक अर्हताएं:

(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष;

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से अर्हित हो या मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर वाहन या इलेक्ट्रीशियन या प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक या प्लंबर या वेल्डर और फिटर या बट्टई या पेंटर या टर्नर या फिटर या वायरमैन या मशीनिनिस्ट या अपहोल्स्टर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग या मेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा हो; तथा

(ग) बिना किसी सहायता के गहरे पानी में पचास मीटर तैरने की अर्हता प्राप्त करेगा ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो साल।	सीधी भर्ती से (जिसके अन्तर्गत पूर्व सैनिकों में से दस प्रतिशत भी हैं)।
(11)		
लागू नहीं होता।		
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष; 2. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल - सदस्य; 3. उप कमांडेंट (जल स्कंध) या सहायक कमांडेंट (जल स्कंध) सीमा सुरक्षा बल - सदस्य।		लागू नहीं होता।

[फा. सं. सी-17/03/2025/कार्मिक-गोपनीय/सीसुब]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

G.S.R. 615(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), and in supersession of the Border Security Force Water Wing (Group 'B' Combatised Technical Staff) Recruitment Rules, 2012 and Border Security Force Water Wing Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Inspector (Master), Inspector (Workshop), Inspector (Engine Driver), Sub-Inspector (Master), Sub-Inspector (Workshop), Sub-Inspector (Engine Driver), Head Constable (Master), Head Constable (Workshop), Head Constable (Engine Driver) and Constable (Crew), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and Group 'C' posts in the Water Wing of the Border Security Force under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Border Security Force, Water Wing (Combatised Technical Staff) Group 'B' and Group 'C' Posts Cadre Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Pre-promotion courses.** - The persons in the feeder rank shall be required to undergo qualifying courses before completing service eligibility period for promotion to higher rank in order of their seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass pre-promotion courses referred to in the said Schedule.

Provided that if the Director General is satisfied that due to exigencies of service or other reasons, any such member is not able to pass the pre-promotion courses, he may promote such member of Force subject to the condition that he shall pass the pre-promotion course within two years from date of his promotion failing which he shall be reverted:

Provided further that the Director General may promote Assistant Sub Inspector (Master), Assistant Sub Inspector (Workshop) and Assistant Sub-Inspector (Engine Driver) to the rank of Sub-Inspector (Master), Sub-Inspector (Workshop) and Sub-Inspector (Engine Driver), respectively, in the Border Security Force if the Assistant Sub Inspector (Master), Assistant Sub Inspector (Workshop) and Assistant Sub-Inspector (Engine Driver) fulfils the requisite qualifying service:

Provided also that such relaxation shall cease to have effect after completion of six years period from the date of commencement of these rules.

6. **Disqualifications.**- No person,-
 - (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 7. Medical standard for promotion.-** Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in the Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion to the posts specified in the column (1) of the said Schedule.

- 8. Medical standard for direct recruits. -** (1) Only those persons who -

(a) are medically and physically fit as per the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs and as per the scheme prescribed by the Central Government from time to time;

(b) qualify the Physical Standard Test, Physical Efficiency Test, Trade Test, Written Test and Medical examination, shall be eligible for appointment to the posts specified in the column (1) of the said Schedule.

(2) Physical measurement for direct recruits shall be as given in the table below :

Sl. No		Height	Chest
		Male	Male
1,	The minimum Height and Chest for all candidates except those mentioned below Un-reserved, Economically Weaker Section, Scheduled Caste and Other Backward Classes.	165 Cm	75-80 Cm
2.	The minimum Height and Chest for all candidates belonging to the Scheduled Tribes category of all States or Union territories or District except as given in the following para will be.	160 Cm	75-80 Cm
3.	The minimum Height and Chest for all Scheduled Tribes hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	155 Cm	75-80 Cm
4.	The minimum Height and Chest for the all Scheduled Tribes hailing from Left Wing Extremism affected districts.	158 Cm	75-80 Cm
5.	The minimum Height and Chest for the candidates falling in the categories of Garhwali, Kumauni, Dogras, Marathas and candidates belonging to the state of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir.	162.5 Cm	75-80 Cm
6.	The minimum Height and Chest for the candidate hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	160 Cm	75-80 Cm
7.	The minimum Height and Chest for the candidates hailing from Gorkha Territorial Administration comprising of the three Sub-Division of Darjeeling Districts namely	155 Cm	75-80 Cm

	Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following "Mouzas" Sub-Division of the districts, namely:- (1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh forest (3)Tangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9) Sukna part-1 (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhat Part-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill forest (16) Sivoke forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania.		
--	---	--	--

Note : Weight: proportionate to height and age as per Medical Standard.

9. **Other conditions of service.**- The person appointed to the Cadre shall be subject to the Border Security Force Act 1968 and the Border Security Force rules 1969 in respect of other conditions of service not specifically provided for in these rules :

Provided that the persons appointed on deputation from other departments shall have to wear the uniform prescribed for the Combatised post against which they are appointed and have to undergo training as prescribed by the Director General Border Security Force immediately on appointment on deputation.

10. **Superannuation.**- (1) A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years.

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month of attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years.

11. **Ineligibility of aliens.**- No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment or enrolment or employment of a citizen of Nepal or Bhutan under these rules.

12. **Powers to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. **Saving.**- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Inspector (Master).	36* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.
Whether selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	
(5)	(6)	(7)	
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	
Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen: By deputation or re-employment.	
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.			
(11)			
Promotion: Sub-Inspectors (Master) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix of the Border Security Force with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely:-			
(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post;			
(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time;			
(c) possessing of First-Class Master Certificate of Competency issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard.			
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -			
(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or			
(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and			
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-			

(i) 12th pass from a recognised Board or University;

(ii) possessing of First-Class Master Certificate of Competency issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard; and

(c) possessing Medical Category SHAPE-I.

For Ex-Servicemen :-

Deputation or re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year holding analogues post in Deck Department of Vessel and having competency for plying Border Security Force type Water Crafts under Civil Registration of First Class Master Certificate issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Inspector General, Border Security Force - Chairperson;</p> <p>2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member;</p> <p>3. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Inspector (Workshop).	10* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised).	Central Non- Level-7(Rs.44900-142400) in the pay matrix.
(5)	(6)	(7)	
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen: By deputation or re-employment.	
(11)			
<p>Promotion: Sub-Inspectors (Workshop) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix of the Border Security Force with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely: -</p> <p>(a) successful completion of Basic training as prescribed for entry level post;</p> <p>(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time.</p> <p>Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 of the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience, namely :-</p> <p>(i) Degree or three years Diploma in Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Marine Engineering from a recognised Board or Institution or University or equivalent with five year's experience in Ship or Vehicle repair Workshop preferably under Central or State Government or Public sector Undertaking ; and</p> <p>(ii) possessing Medical Category SHAPE-I.</p> <p>For Ex-Serviceman :-</p> <p>Deputation or Re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year holding analogues post in Engineering Department of Vessel and having five years experience in Ship or Vehicle repair Workshop shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.</p>			

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)		(13)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Inspector General, - Chairperson ; Border Security Force 2. Deputy Inspector General, - Member; Border Security Force 3. Commandant (Water Wing) or - Member. Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force		Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Inspector (Engine Driver).	32* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.
(5)	(6)	(7)	
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen: By deputation or re-employment.	
(11)			
Promotion: Sub-Inspectors (Engine Driver) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix of the Border Security Force with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely: - (a) successful completion of Basic training as prescribed for entry level post; (b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time; (c) possessing of Licensed Engine Driver or Motor Engineer or equivalent Certificate of Competency issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021.			
Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years,			

whichever is lesser, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 of the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following qualifications and experience, namely :-
- (i) 12th pass from a recognised Board or University;
- (ii) possessing of Licensed Engine Driver or Motor Engineer or equivalent Certificate of Competency issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard; and
- (iii) possessing Medical Category SHAPE-1.

For Ex-Serviceman:

Deputation or Re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year holding analogues post in Engineering Room Department of Vessel and having competency for plying Border Security Force type Water Crafts under Civil Registration of Licensed Engine Driver or Motor Engineer or equivalent Certificate of Competency issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.

Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Inspector General, - Chairperson ; Border Security Force</p> <p>2. Deputy Inspector General, - Member; Border Security Force</p>	Not applicable.

3. Commandant (Water Wing) or - Member. Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Sub-Inspector (Master).	75* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial (Combatised).	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the pay matrix.	Selection.
(6)				
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).				
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.				
(7)				
Educational qualification: (a) 12 th pass from recognised Board or University; and (b) Second-Class Master Certificate of Competency issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard.				
(8)	(9)	(10)		
Not applicable.	Two years.	(i) eighty per cent. by promotion, failing which by deputation; and (ii) twenty per cent. by direct recruitment (including ten per cent. from amongst Ex-servicemen); (iii) For Ex-Servicemen : By deputation or re-employment.		
(11)				
Promotion: Assistant Sub-Inspectors (Master) in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix of the Border Security Force with Six years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely: - (a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post; (b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time; (c) possessing of 2 nd Class Master Certificate issued by the Central or State Inland Water Transport Authority or Mercantile Marine Department under Inland Vessels Act, 2021.				
Note-1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years,				

3. Commandant (Water Wing) or - Member. Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Sub Inspector (Workshop).	20* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial (Combatized).	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the pay matrix.	Selection.
(6)				
Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.				
(7)				
Educational qualification: (a) Bachelor Degree in Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Marine Engineering or Mechatronics from a recognised University or equivalent; or (b) Three years Diploma in Automobile or Mechanical or Marine Engineering or Mechatronics from a recognised University or Institution.				
(8)	(9)	(10)		
Not applicable.	Two years.	(i) eighty per cent. by promotion, failing which by deputation; and (ii) twenty per cent. by direct recruitment (including ten per cent. from amongst Ex-servicemen); (iii) For Ex-Servicemen : By deputation or re-employment.		
(11)				
Promotion: Assistant Sub-Inspectors (Workshop) in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix of the Border Security Force with six years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely:- (a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post; (b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time. Note-1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-				

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 of the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment in column (7); and
- (c) possessing Medical Category SHAPE-1.

For Ex-serviceman :-

Deputation or Re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualification prescribed for direct recruit under column (7) shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)			(13)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -:			Not applicable.	
1. Inspector General, Border Security Force	- Chairperson ;			
2. Deputy Inspector General, Border Security Force	- Member;			
3. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force	- Member.			
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -:				
1. Inspector General, Border Security Force	- Chairperson ;			
2. Deputy Inspector General, Border Security Force	- Member;			
3. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force	- Member.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.Sub-Inspector (Engine Driver).	76* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial (Combatised).	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the pay matrix.	Selection.

(6)		
<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>(Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>		
(7)		
<p>Educational qualification: (a) 12th pass from recognised Board or University; and</p> <p>(b) 1st Class Engine Driver Certificate of Competency issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority or equivalent under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard.</p>		
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	<p>(i) sixty per cent. by promotion, failing which by deputation; and</p> <p>(ii) forty per cent. by direct recruitment (including ten per cent. from amongst Ex-servicemen);</p> <p>(iii) For Ex-Servicemen : By deputation or re-employment.</p>
(11)		
<p>Promotion: Assistant Sub-Inspectors (Engine Driver) in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix of the Border Security Force with six years regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely:-</p> <p>(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post;</p> <p>(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time ; and</p> <p>(c) possessing 1st Class Engine Driver Certificate issued by the Central or State Inland Water Transport Authority or Mercantile Marine Department under Inland Vessels Act, 2021.</p> <p>Note-1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 of the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and</p>		

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment in column (7); and

(c) possessing Medical Category SHAPE-1.

For Ex-serviceman:-

Deputation or Re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualification prescribed for deputation under this column shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)				(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : -				Not applicable.
1. Inspector General, Border Security Force		- Chairperson;		
2. Deputy Inspector General, Border Security Force		- Member;		
3. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force		- Member.		
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : -				
1. Inspector General, Border Security Force		- Chairperson;		
2. Deputy Inspector General, Border Security Force		- Member;		
3. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force		- Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Assistant Sub-Inspector (Master).	128* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen : By deputation or re-employment.
(11)				
<p>Promotion: From amongst the Head Constable (Master) in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix of the Border Security Force with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely:-</p> <p>(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post;</p> <p>(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time; and</p> <p>(c) possessing the Serang Certificate.</p> <p>Note-1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience, namely :-</p> <p>(i) Matriculation from a recognised Board;</p> <p>(ii) possessing the 'Serang' Competency Certificate issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Cost Guard; and</p> <p>(c) possessing Medical Category SHAPE-1</p> <p>For Ex-serviceman:</p> <p>Deputation or Re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualification prescribed for Deputation under this column shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.</p> <p>Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>				

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)				(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -				Not applicable.
1. Deputy Inspector General, Border Security Force	-	Chairperson;		
2. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force	-	Member;		
3. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force	-	Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Assistant Sub-Inspector (Workshop).	33* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen: By deputation or re-employment.
(11)				
Promotion: From amongst the Head Constable (Workshop) in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix of the Border Security Force with five years regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely: -				
(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post; and				
(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time.				
Note1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -				
(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or				

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following qualifications and experience, namely:-

(i) Matriculation from a recognised Board;

(ii) possessing Industrial Training Institute in Motor Mechanic (Diesel or Petrol Engine) or Machinist or Welder or Carpenter or Electrician or Fitter or Air Conditioner Technician or Electronics or Plumber or Upholster or Painter from recognised institution with five years' experience in Ship or Vehicle repair Workshop preferably under Central or State Government or Public sector Undertaking; and

(iii) possessing Medical Category SHAPE-1

For Ex-serviceman :-

Deputation or Re-employment: - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year holding analogues post in Engineering Room Department of Vessel and five year experience in Ship or Vehicle repair Workshop shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.

Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)				(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-				Not applicable.
1. Deputy Inspector General, Border Security Force		- Chairperson;		
2. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force		- Member ;		
3. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force		- Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Assistant Sub-Inspector (Engine Driver).	82* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen: By deputation or re-employment.
(11)				
<p>Promotion: From amongst the Head Constable (Engine Driver) in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix of the Border Security Force with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely:-</p> <p>(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post;</p> <p>(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time; and</p> <p>(c) possessing of 2nd class Engine Driver Certificate issued by Indian Vessels Act, 2021.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience, namely :-</p> <p>(i) Matriculation from a recognised Board; and</p> <p>(ii) possessing of 2nd Class Engine Driver Competency Certificate issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard; and</p> <p>(iii) possessing Medical Category SHAPE-1.</p> <p>For Ex-serviceman: -</p> <p>Deputation or Re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year holding analogues post in Engineering Room Department of Vessel and having Competency for plying Border Security Force type Water Crafts under Civil Registration of 2nd Class Engine Driver Competency Certificate issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.</p>				

Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)		(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -		Not applicable.	
1. Deputy Inspector General, Border Security Force - Chairperson;			
2. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force - Member;			
3. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force - Member.			
(1)	(2)	(3)	
10. Head Constable (Master).	183* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial (Combatised).	
(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation ; and (ii) For Ex-Servicemen :By deputation or re- employment.	
(11)			
Promotion: From amongst the Constable Crew (Master) in level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix of the Border Security Force with five years regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely: -			
(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post;			
(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time; and			
(c) possessing the Serang Certificate.			
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			

Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 of the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following qualifications and experience, namely:-

(i) Matriculation from a recognised Board;

(ii) possessing Serang Competency Certificate issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard; and

(iii) possessing Medical Category SHAPE-1.

For Ex-serviceman:-

Deputation or Re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualification prescribed for deputation under this Column shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -		Not applicable.
1. Deputy Inspector General, Border Security Force	- Chairperson;	
2. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force	- Member;	
3. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force	- Member.	
(1)	(2)	(3)
11. Head Constable (Workshop).	43* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen : By deputation or re-employment.	
(11)			
<p>Promotion: From amongst the Constable (Workshop) in level-3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix of the Border Security Force with five years regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely: -</p> <p>(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post; and</p> <p>(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 of the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience, namely :-</p> <p>(i) Matriculation from a recognised Board;</p> <p>(ii) possessing Industrial Training Institute in Motor Mechanic (Diesel or Petrol Engine) or Machinist or Welder or Carpenter or Electrician or Fitter or Air Conditioner Technician or Electronics or Plumber or Upholster or Painter from recognised institution with five years experience in Ship or Vehicle repair Workshop preferably under Central or State Government or Public sector Undertaking; and</p> <p>(iii) possessing Medical Category SHAPE-1.</p> <p>For Ex-serviceman :</p> <p>Deputation or Re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year holding analogues post in Engineering Room Department of Vessel and five year experience in Ship or Vehicle repair Workshop shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>			

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)		(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -		Not applicable.	
1. Deputy Inspector General, Border Security Force	- Chairperson;		
2. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force	- Member;		
3. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force	- Member.		
(1)	(2)	(3)	
12.Head Constable (Engine Driver).	201* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial (Combatised).	
(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; and (ii) For Ex-Servicemen : By deputation or re- employment.	
(11)			
Promotion: From amongst the Constable Crew (Engine Driver) in level-3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix of the Border Security Force with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely:-			
(a) successful completion of basic training as prescribed for entry level post;			
(b) must qualify other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time;			
(c) possessing of 2 nd class Engine Driver Certificate issued by Indian Vessels Act, 2021.			
Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -			
(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or			

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 of the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following qualifications and experience, namely: -

(j) Matriculation from a recognised Board;

(ii) possessing of 2nd Class Engine Driver Competency Certificate issued by the Inland Water Transport or Mercantile Marine Department or Inland Waterways Authority of India or Central or State Inland Water Transport Authority under Inland Vessels Act, 2021 or equivalent certificate issued by the Indian Navy or Indian Coast Guard; and

(iii) possessing Medical Category SHAPE-1.

Ex-serviceman :-

Deputation or Re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year holding analogues post in Engineering Room Department of Vessel and having qualification prescribed for Deputation under this Column shall also be considered. Such person if considered fit would be given deputation terms up to the date on which he is due for release from the Armed Forces and thereafter he may be continued on re-employment.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)				(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -				Not applicable.
1. Deputy Inspector General, Border Security Force	-	Chairperson;		
2. Commandant (Water Wing) or Second-in-Command (Water Wing), Border Security Force	-	Member;		
3. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force	-	Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Constable Crew (Master).	279* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)				
Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.				
(7)				
Educational qualification: (a) Matriculation from recognised Board or equivalent; (b) Candidate must have passed Industrial Training Institute or National Council of Vocational Training or State Council of Vocational Training or Diploma in Electronics Mechanic or Electrician or Information Technology and Electronic System Maintenance or Instrument Mechanic or Radio and TV Mechanic or Computer Hardware and networking or Electronics and Communication Engineering or Computer Engineering or Instrumentation Engineering; and (c) shall qualify fifty Mtrs swimming in deep water without any assistance.				
(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment (including ten percent from amongst ex-servicemen).	Not applicable.	
(12)				(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: - 1. Commandant, Border Security Force - Chairperson; 2. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force - Member; 3. Deputy Commandant (Water Wing) or, Assistant Commandant (Water Wing) Border Security Force - Member.				Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. Constable (Workshop).	50* (2026) (*Subject to variation on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Not applicable.
(6)				
Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and				

Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.				
(7)				
Educational qualification: (a) Matriculation from recognised Board or equivalent;				
(b) Candidate must have passed Industrial Training Institute or National Council of Vocational Training or State Council of Vocational Training in Mechanic (Diesel or Petrol) or Mechanic Motor Vehicle or Electrician or Refrigeration and Air Conditioning Mechanic or Plumber or Welder or Carpenter or Machinist or Fitter or Electronics or Painter or Upholster; and				
(c) shall qualify fifty Mtrs swimming in deep water without any assistance.				
(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment (including ten percent from amongst ex-servicemen).	Not applicable.	
(12)				(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: -				Not applicable.
1. Commandant, Border Security Force		- Chairperson;		
2. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force		- Member;		
3. Deputy Commandant (Water Wing) or, Assistant Commandant (Water Wing) Border Security Force		- Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. Constable Crew (Engine Driver).	277* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Not applicable .
(6)				
Age not exceeding 25 years.				
(Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).				
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.				
(7)				
Educational qualification: (a) Matriculation from recognised Board or equivalent;				
(b) Candidate must have passed Industrial Training Institute or National Council of Vocational Training or State Council of Vocational Training or Diploma in Mechanic Diesel or Mechanic Motor Vehicle or Electrician or Refrigeration and Air Conditioning Mechanic or Plumber or Welder and Fitter or Carpenter or Painter or Turner or Fitter or Wireman or Machinist or Upholster or Mechanical				

Engineering or Electrical Engineering or Automobile Engineering or Marine Engineering or Mechatronics ; and			
(c) shall qualify fifty mtrs swimming in deep water without any assistance.			
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment (including ten percent from amongst ex-servicemen).	Not applicable.
(12)			(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: -			Not applicable.
1. Commandant, Border Security Force		- Chairperson;	
2. Deputy Commandant or, Assistant Commandant Border Security Force		- Member;	
3. Deputy Commandant (Water Wing) or, Assistant Commandant (Water Wing) Border Security Force		- Member.	

[F. No.C-17/03/2025/Pers-Conf/BSF]
SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.